संख्या-13/2017/443एम/नौ-5-16-252बजट/2016

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, कांठ,
जनपद-मुरादाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगरीय जल निकासी के अन्तर्गत जल निकासी के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय जल निकासी योजना'** के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित 38 विभिन्न कार्यो के अनुसार नगर पंचायत, कांठ जनपद-मुरादाबाद में जल निकासी हेतु नालों के निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल **₹ 187.36 लाख (₹ एक करोड सत्तासी लाख छत्तीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **₹ 93.68 लाख (₹ तिरानबे लाख अडसठ हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा रू0 5.00 लाख तक के डेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टयों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकायों/कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(9) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक संबधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक *"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-13/2017/443एम(1)/नौ-5-16-252बजट/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- जिलाधिकारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
4- कोषाधिकारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष, नगर पंचायत, कांठ, मुरादाबाद ,उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

शासनादेश संख्या-13/2017/443एम(1)/नौ-5-16-252बजट/2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	आगणन के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मुरादाबाद	नगर पंचायत, कांठ	1. जनता नर्सिंग होम से लाल मस्जिद तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.94		
			2. लाल मस्जिद से कब्रिस्तान में लाल मस्जिद के चबुतरे तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.94		
			3. लाल मस्जिद के चबुतरे से मुन्ने अंसारी के गोदाम के पीछे तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.94		
			4. मुन्ने अंसारी के गोदाम के पीछे से कब्रिस्तान की पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.94		
			5. रशीद अंसारी की पुलिया से अब्दुल्ला के मकान के सामने तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.94		
			6. अब्दुल्ला के सामने से रहमतुल्ला अंसारी तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.94		
			7. रहमतुल्ला के मकान के सामने से बक्का की पुलिया तक आरसीसी नाला निर्माण	4.94		
			8. बक्का की पुलिया से यामीन की दुकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.94		
			9. नासिर उलूम के सामने से डा. रईस की क्लीनिक तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.94		
			10. डा. रईस की क्लीनिक से शोकत की दुकानों तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.94		
			11. अख्तर की दुकान के सामने से शमसुल हक के प्लाट के सामने तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.94		
			12. शमसुल हक के प्लाट के सामने से शुऐब की फैक्ट्री तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.94		
			13. दिल्ली चिल्ड्रेन स्कूल से कदीर सीमेन्ट की दुकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.94		
			14. शुऐब की दुकान से एस0एस चिल्ड्रन स्कूल तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.94		
			15. एस0एस चिल्ड्रन स्कूल से राम चरण सैनी तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.95		
			16. शब्बीर छीपी के सामने से छत्रपाल सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण	4.95		
			17. छत्रपाल सिंह के मकान से हाजी उसमान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.95		
			18. राम किशन से इदरीश कालू के मकान तक तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.95		
			19. डा. जाकीर के सामने से डा. इन्तेजार की पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.95		
			20. डा. इन्तेजार की पुलिया से शरीफ सिद्दकी तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.95		
			21. शरीफ सिद्दकी से चव्वा सेठ तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.95		
			22. चव्वा सेठ से अनीस सिद्दीकी तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.95		
			23. डा. सलीम पुरिया से हसन घोसी के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.95		
			24. हसन घोसी के मकान से हर चरन के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.95		

			25. हर चरन के मकान से महिपाल सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.95		
			26. महिपाल धनगर से पडियो की पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.95		
			27. पडियो की पुलिया ट्रांसफार्मर से छब्बू के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.95		
			28. छब्बू के मकान से शकील घोसी के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण ।	4.95		
			29. शकील घोसी के मकान से सुन्दरी नदी की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण भाग-1	4.89		
			30. शकील घोसी के मकान से सुन्दरी नदी की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण भाग-2	4.89		
			31. शकील घोसी के मकान से सुन्दरी नदी की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण भाग-3	4.89		
			32. शकील घोसी के मकान से सुन्दरी नदी की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण भाग-4	4.89		
			33. शकील घोसी के मकान से सुन्दरी नदी की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण भाग-5	4.89		
			34. शकील घोसी के मकान से सुन्दरी नदी की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण भाग-6	4.89		
			35. शकील घोसी के मकान से सुन्दरी नदी की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण भाग-7	4.89		
			36. शकील घोसी के मकान से सुन्दरी नदी की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण भाग-8	4.89		
			37. शकील घोसी के मकान से सुन्दरी नदी की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण भाग-9	4.89		
			38. शकील घोसी के मकान से सुन्दरी नदी की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण भाग-10	4.89		
			योग	187.36	93.68	

(रू0 तिरानबे लाख अड़सठ हजार मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-03/01/2017

प्रेषण संख्या:- 13

आवंटन आदेश संख्या:- 001-13-2017-443M-9-5-16-252B-2016

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मुरादाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9368000 10805000	9368000 10805000
	योग	वर्तमान प्रगामी	9368000 10805000	9368000 10805000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तिरानवे लाख अड़सठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ आठ लाख पाँच हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी